राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक – निपेंवि/पीसी/ई–कुबेर/2020 / 1889-K दिनांक 29-12-2021

महालेखाकार (A&E)
महालेखाकार कार्यालय
राज. जयपुर।

विषय :– राजस्थान सरकार के पेंशनर जो अन्य राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पेंशनर्स की सूचना के क्रम में।
संदर्भ :– विभाग का समसंख्यक पत्रांक 1037 दिनांक 28.12.2021।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार के पेंशन, जो अन्य राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे है, के संबंध में सन्दर्भित पत्र द्वारा आपसे सूचना चाही गई थी, परन्तु आपके पत्रांक 2356 दिनांक 28.12. 2021 के द्वारा सॉफ्टकापी में उपलब्ध करवाई गई सूचना में महत्वपूर्ण कॉलमों की सूचना का अभाव है, जिसके कारण उक्त पेंशनर्स को पे–मैनेजर के माध्यम से माह दिसम्बर 2021 को पेंशन का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के स्तर पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा बैंकों की मध्यस्थता खत्म करते हुए राज्य के समस्त पेंशनरों को माह दिसम्बर 2021 से देय पेंशन का भुगतान पे–मैनेजर/IFMS के द्वारा रिजर्व बैंक के E-Kuber सॉफ्टवेयर से करने का निश्चय पूर्व में ही किया जा चुका है।

कृपया संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण सूचना कॉलम की पूर्ति करवाते हुए 15 जनवरी, 2022 तक सूचना आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से अन्य राज्यों में पेशंन प्राप्त कर रहे राज्य के सभी पेंशनर्स को माह जनवरी 2022 (देय माह फरवरी 2022) का भुगतान नियत समय पर किया जा सके।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

क्रमांक – निपेंवि/पीसी/ई–कुबेर/2020/1890-K दिनांक 29/12/2021
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।

निदेशक